66
14/10/15

ना०आ०
सं०उपल-4
14/10/15

संख्या–4082/71–आयुष–1–2015–वि0प0–08/2011

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– निदेशक,
यूनानी सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

विषयः उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक–2015 के अर्न्तगत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियों की अधिसूचना दिनांक 09.10.2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–2224/79–बी0–1–15–1(क) 18–2015 दिनांक 09 सितम्बर 2015 के अर्न्तगत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली आधुनिक औषधियों की अधिसूचना दिनांक 09.10.2015 को निर्गत कर दी गयी है। उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नकः– यथोक्त्।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या– 4082(1)/71–आयुष–1–2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
5– गोपन अनुभाग–1
6– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद की 02 प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 1000 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

D:\Shri pal ji\new G.O..doc /shubham

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
संख्या– 3223 /71–आयुष–1–2015–वि0प0–8/2011
लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना
आदेश

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या–23, सन् 1940) के अधीन बनायी गयी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम–2 के खण्ड (ङ ङ) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या–48, सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले और संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1939) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, नीचे अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधि के प्रयोग के लिए उस सीमा तक हकदार होंगें जहॉ तक उन्हें उत्तर प्रदेश के उक्त अधिनियम, सन् 1970 के अधीन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया हो।

जन स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में संलग्न आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ ऐसी औषधियॉ विहित करने एवं कार्यविधि अपनाने की अनुमति होगी, जैसा उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से परामर्श कर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त विहित की गयी हो।

:– अनुसूची :–

उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियॉ

- एण्टासिड्स, एच–2 रिसेप्टर्स ब्लाकर्स, प्रोटॉन पम्प इनहिब्टिर्स, एण्टीहिस्टेमिनिक
- जीवाणुनाशक (एण्टीबॉयोटिक्स)–कोट्राइमैक्सेजोल, ट्राइमिथोप्रिम, नॉरफ्लॉक्सेसिन, क्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, जेन्टामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, इराइथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेटॉइन, मेट्रोनिडेजोल, टिनिडेजोल, एम्पिसिलिन
  डी0आई0डी0 राजयक्ष्मानाशक– आई0एन0एच0, रिफेमपिसिन, इथेमब्यूटोल, पाइराजिनामाइड
- कृमिनाशक – मेबेन्डाजोल, एलबेन्डाजोल
- मलेरिया नाशक– क्लोरोक्वीन क्विनीन, प्राइमाक्वीन, सल्फाडाक्सिन, पाइरीमिथेमाइड
- कुष्ठनाशक–डेपसोन, रफेम्पसिन, क्लोफेजिमाइन
- अमीबानाशक–मैट्रोनिडेलोज, टिनिडेजोल, डूलैक्सानाइड फूरोएट

Scanned by CamScanner

(एण्टीस्केबीज)–बेन्जाइल

- कण्डूनाशक
  गामा बेनजीन हैक्साक्लोराइड
- स्थानिक फफूँदीरोधक (टापिकल एण्टीफंगल)
- विषाणुनाशक (एण्टीवायरल)
- एण्टीकोलिनर्जिक–डाइसाइक्लोमिन
- वमनरोधी (एण्टी इमेटिक)
- ज्वरघ्न एवं वेदनाशामक (एण्टीपाइरेटिक–एनॉलजेसिक)
- मृदुविरेचक (लेक्जेटिव)
- मौखिक पुर्नजलीकरण घोल (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)
- लौहतत्व एवं विटामिन (हिमेटिनिक्स एण्ड विटामिन्स)
- श्वासनली विस्फारक (ब्रॉन्कोडाइलेटर) साल्बूटामोल, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन
- कफ निस्सारक (एक्सपेक्टोरेन्ट)
- मौखिक गर्भनिरोधक गोली (ओरल कन्ट्रासेप्टिव)
- जेनशियन वॉयलेट 1% सॉल्यूशनस
- माइकोनेजोल 1% क्रीम
- विटामिन ए लिक्विड
- विटामिन बी काम्पलेक्स
- फालिक एसिड टैब
- जाइलोकेन लोकल
- मेथाइलअर्गोमेट्राइन टैब्लेट्

महत्वपूर्ण

गम्भीर रूप से सभी बीमार रोगियों की प्रारम्भिक देखभाल/प्रारम्भिक चिकित्सा के उपरान्त उन्हें रेफर किया जाना।

न किये जाने वाले कार्य

1–चिकित्सा विधिक प्रकरण (मेडिकोलीगल)
2–शवच्छेदन (पोस्टमार्टम)
3–अन्तःशिरा सूची (आई0वी0 इन्जेक्शन)
4–शुद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी शल्यकर्म यथा क्षारसूत्र से भिन्न शल्यकर्म।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

Uttar Pradesh Shasan
Ayush Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 3223/71-Ayush-1-2015 vi-pa-8/2011 for general information.

NOTIFICATION
ORDER

No 3223 /71-Ayush-1-2015 vi-pa-8/2011
Lucknow, Dated 09 October ,2015

In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (ee) of rule 2 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act no.23 of 1940) the Governor is pleased to declare that the persons holding the qualifications specified in the Second, Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Act no.48 of 1970) and registered under the United Provinces Indian Medicine Act, 1939 (Act no. 10 of 1939) shall be entitled to practice the Drugs of Modern System of Medicine mentioned in the Schedule below, to the extent of training imparted to them as per the syllabus prescribed from time to time by the Central Council of Indian Medicine under the said Act of 1970.

Ayurvedic and Unani practitioners in public health facilities may be allowed to prescribe such medicines and undertake such procedures after being imparted such training as may be specified by the Medical Education Department in consultation with Medical, Health and Family Welfare Department for the purposes of the Reproduction, Maternal, Neonatal and Child Health+Adolescent Health Programmes.

SCHEDULE

DRUGS THAT CAN BE PRESCRIBED BY A REGISTERED AYURVEDIC OR UNANI PRACTITIONERS WITH IN STATE OF UTTAR PRADESH.

Antacids, H2 receptors blockers, proton pump inhibitors, Antihistaminic.
Antibiotics-Cotrimaxazole,Trimethoprim,Norfloxacine,
quinolones,tetracycline,gentamycine,cephalosporin,erythromycin,
nitrofuratoin, metronidazole, tinidazole, ampicillin.
DID Antitubercular- INH, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide.
Anithelminthics- Mebandazole, albendazole
Antimalerials- Chloroquine, quinine, primaquine, sulfadoxine, pyrimethamide.
Antileprosy- Dapsone, rifampcin, colfazimine.
Antiamoebic- Metronidazole, tinidazole, doolaxanide furoate.
Antiscabies- Benzyle benzoate, gama benzene hexachloride.
Topical antifungal-
Antiviral
Anticholinergic- Dicyclomine
Antiemetics

Shubham/UO

Scanned by CamScanner

Antipyretics-analgesics
Laxatives
Oral rehydration solutions
Hematinics and vitamins
Bronchodilators- Salbutamol, theophyline, aminophyline
Expectorants
Oral Contraceptives.
Gentian violet 1% solutions
Miconazole 1 % Cream
Vitamin A liquid
Vitamin B complex
Folic Acid Tab
Xylocaine local
Methylergometrine tablets

IMPORTANT

Referral of all sick patients after initial management/ First Aid

Procedure not to be performed.

Medicolegal Cases
Postmortem
Intravenous Injection
Surgical Procedures other than pure Ayurvedic/Unani Surgical procedures like Ksharsutra etc.

By order,

(Anup Chandra Panday)
Principal Secretary

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या–258

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 सितम्बर, 2015

भाद्रपद 18, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1224/79-वि-1–15-1(क)18-2015

लखनऊ, 9 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2015

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2015]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

Scanned by CamScanner

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939 की धारा 39 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की धारा 39 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 48 सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हता रखने वाले आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक पात्र होंगे जहाँ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं।"

उद्देश्य और कारण

प्रदेश के समस्त जनपदों में, विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारकों) की कमी है। जबकि काफी संख्या में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक (आयुर्वेद अथवा यूनानी डिग्री धारक) वहाँ उपलब्ध हैं। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों पर आधुनिक औषधियों को लिखने पर प्रतिबन्ध होने के कारण रोगियों को उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए यथावश्यक उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता था। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को आधुनिक औषधियों को लिखने के लिए कतिपय विधिक संरक्षणात्मक उपायों के साथ प्राधिकृत किया जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विषम/प्रारम्भिक/आपातकालीन परिस्थितियों में रोगी को त्वरित एवं प्रभावी उपचार प्राप्त हो सके।

उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10 सन् 1939) में संशोधन करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध किया जाये जहाँ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य पंजिका में पंजीकृत हैं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 1224(2)/LXXIX-V-1–15-1(Ka)-18-2015

Dated Lucknow, September 9, 2015

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Indian Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2015 :–

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 2015

[U.P. ACT NO. 10 OF 2015]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Act, 2015.

Scanned by CamScanner

2. In section 39 of the United Provinces Indian Medicine Act, 1939, in sub-section (4) *after* clause (c) the following clause shall be *inserted,* namely :– Amendment of section 39 of U.P. Act no. 10 of 1939

"(d) The registered practitioners of Ayurvedic or Unani System of Medicine holding the qualifications mentioned in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Act no. 48 of 1970) shall be eligible to practice the modern system of medicine known as allopathic medicine to the extent of training they have received in the system and notified by the State Government along with the Ayurvedic or Unani Medicine in which they are registered in the State Register."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In all districts of the State, especially in remote rural areas, there is scarcity of doctors of modern system of medicine (M.B.B.S. degree holders) to provide cheap and quality medical facility. Whereas large number of doctors of Indian System of Medicine (Ayurvedic and Unani degree holders) are available there. Ayurvedic and Unani doctors are banned to prescribe modern medicine due to which patient could not get such treatment as are necessary for their quick recovery. It has therefore become necessary that with some legal protective measures, Ayurvedic and Unani doctors should be authorised to practice modern medicine, so that in rural areas in odd/ preliminary/ emergency conditions patient may get immediate and effective treatment.

Keeping in view of the aforesaid situation it has been decided to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939 (U.P. Act no. X of 1939) to provide for authorising Ayurvedic and Unani doctors to practice the modern system of medicine known as allopathic medicine to the extent of training they have received in the system and notified by the State Government along with the Ayurvedic or Unani Medicine in which they are registered in the State Register.

The Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 494 राजपत्र(हि0)–2015–(1162)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 64 सा0 विधायी–2015–(1163)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

494 RPH Vidhai 2015 Data 2

Scanned by CamScanner

9
02/4/18

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
संख्या–1056/96–आयुष–1--18–176/2013
लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

सी0सी0आई0एम0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.10.2012 द्वारा एसोसिएशन आफ मॉइनरिटीज आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी डिप्लोमा इन्स्टीट्यूशन सहारनपुर (उ0प्र0), अजमल खाँ तिब्बिया कालेज मुजफ्फरनगर (उ0प्र0), शिफा उल मुल्क तिब्बिया कालेज मुजफ्फरनगर (उ0प्र0), भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर (उ0प्र0) और इब्ने शिना तिब्बिया कालेज बीनापारा, आजमगढ़(उ0प्र0) को आई0एम0सी0सी0 एक्ट 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में लिये गये निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

The matter was placed before Executive Committee held on 09.10.2012 and EC decided not to recommend to Govt. of India for inclusion of above mentioned alongwith their diplomas in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970.

उक्त आदेश दिनांक 17.10.2012 को निरस्त किये जाने हेतु याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सख्या–1297/2013 महर्षि चरक आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य सम्बद्ध रिट याचिका संख्या–1429/2013 शिफा–उल–मुल्क तिब्बिया कालेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–1434/2013 भारत तिब्बिया कालेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2014 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:–

These writ petitions have been filed challenging the order dated 17.10.2012, whereby the Central Council of Indian Medicine has refused to recommend to Government of India inclusion of certain Institutions along with their diplomas in Second Schedule to IMCC Act, 1970.

Learned counsel for the petitioners submits that during pendency of writ petitions the Central Council of Indian medicine vide letter dated 28.10.2014 has informed the State Government that the matter with respect to extension and inclusion of diplomas given by various Institutions in the Second Schedule of IMCC Act, 1970 is the subject matter under State Government/Board and they have to take appropriate decision in this regard. The copy of letter dated 28.10.2014 has been placed before the Court which has been taken on record.

Mr. Suresh Chandra Verma, learned counsel appearing on behalf of opposite party no.2/U.P. Indian Medicine Board does not dispute the aforesaid position. It is submitted by him that under Sections 27, 28, 29 and 30 of U.P. Indian Medicine Act, 1939 the decision is to be taken by the State

Scanned by CamScanner

Government and U.P. (Ayurvedic and Unani Tibb Systems of Medicines) Board.

In view of above, the writ petitions are finally disposed of with observations that the concerning competent authorities may take appropriate decision with respect to inclusion of petitioners Institutions and the diploma courses conducted by them and decide their provision of practice in accordance with law and pass final orders, expeditiously.

Order Date :- 11.12.2014

2— प्रकरण में रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—1121/बोर्ड—सा0प्रशा0/15, दिनांक—17.06.2015, पत्र संख्या—1254/बोर्ड—सा0प्रशा0/15, दिनांक 30.06.2015, पत्र संख्या—146/बोर्ड—सा0प्रशा0/17, दिनांक 30.01.2017, पत्र संख्या—919/बोर्ड—सा0प्रशा0/15, दिनांक 10.07.2017 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसमें अवगत कराया गया कि जिन संस्थाओं द्वारा संचालित डी0ए0एम0/डी0यू0एम0 पाठयक्रम उत्तीर्ण छात्रों के पंजीयन निरस्त किये गये थे, उनके द्वारा बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गईं। बोर्ड द्वारा अपीलों की सुनवाई हेतु समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपीलों पर यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 14(2) के प्राविधानानुसार द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कराये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा दिनांक 29 मार्च 2012 को पारित करते हुए उक्त संस्थाओं के अनुरोध पत्र भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली को प्रेषित किये गये। सी0सी0आई0एम0, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 17—10—2012 द्वारा इन संस्थाओं के प्रेषित प्रत्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया। तद्क्रम में याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में उक्त याचिकायें योजित की गई तथा याचिकाओं के माध्यम से याचीगण द्वारा सी0सी0आई0एम0 के पत्र दिनांक 17—10—2012 को निरस्त करने तथा याचीगण द्वारा प्रदत्त अर्हता को सी0सी0आई0एम0 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना मा0 उच्च न्यायालय से की गई।

3— तदन्तर संस्थाओं द्वारा पुनः प्रेषित प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को अधिनियम 1970 की धारा 14(2) के प्राविधानुसार द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण को केन्द्रीय परिषद की लीगल अफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा लीगल कमेटी की बैठक दिनांक 15—10—2014 में उक्त विषय पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"इस प्रकार की योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नही की जा सकती। तथापि कमेटी यू0पी0इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 27,28, एवं 29, 30 से सहमत होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यह राज्य विषय है तथा राज्य सरकार/बोर्ड उनके चिकित्साभ्यास के सम्बन्ध पर निर्णय ले।"

लीगल कमेटी के उक्त निर्णय से ई.सी. की 201 वीं मीटिंग जो कि दिनांक 15—10—2014 को सम्पन्न हुई में सहमति व्यक्त की गई एवं उसके बाद जनरल बॉडी की 52 वीं मीटिंग दिनांक 16—10—2014 में समर्थन किया गया।

Scanned by CamScanner

14 or ultra vires to any of the provisions of the State Act.
44. The instant case have to be determined strictly in consonance with the law laid down by this Court referred to hereinabove and, particularly, in Ayurvedic Enlisted Doctor's Assn (supra). The observations made by the Rajasthan High Court to the extent that persons who possessed the certificate upto 1.10.1976 i.e. the date on which the provisions of Section 17 had been enforced in the State of Rajasthan is not in consonance with the law laid down by this Court in the above referred cases. Therefore, that observation is liable to be set aside.
45. In view of the above, Civil Appeal arising out of SLP © No. 21043 of 2008 is allowed and it is held that a person who acquired the certificate, degree or diploma from Hindi Sahitya Sammelan Prayag after 1967 is not eligible to indulge in any kind of a medical practice. All other Civil Appeals are dismissed. No costs."

Petitioner"s counsel has placed reliance on an interim order passed by the High Court of Uttarakhand at Nainital wherein in Civil Misc. Writ Petition No. 33 of 2009, Dr. Sunil Kumar Vs. State of U.K., a learned Single Judge has accorded interim order.

Interim orders are not binding as object of interim order is to preserve status-quo and nothing beyond the same. Interim orders do not decide/determine the rights of parties and as the nomenclature itself suggests, it is purely interim, the said interim order is not at all been relied upon by us. Moreover, even the said interim order places emphasis on qualification and degrees being recognized.

Accordingly, on such parameters the orders passed by the Chief Medical Officer, Bareilly, is a rightful order, inasmuch as, petitioner, who has obtained his degree/certificate from an unrecognized university/institute under the Indian Medicine Central Council Act 1970 cannot be permitted to practice. Writ petition is dismissed, accordingly.

5— रिट याचिका संख्या 1297/13 महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2014 एवं रिट याचिका संख्या—62621/2015 श्वेतकेतु शर्मा बनाम सचिव, भारत सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के संबंध में न्याय विभाग का विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के कम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया जाता है :—

"रिट याचिका सख्या—1297/2013 महर्षि चरक आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिकल कालेज मुजफ्फरनगर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के साथ सम्बद्ध रिट याचिकाएं 1429/2013, शिफा—उल—मुल्क तिब्बिया कालेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या—1434/2013 भारत तिब्बिया कालेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.12.2014 तथा रिट याचिका संख्या—62621/2015 श्वेतकेतु शर्मा बनाम सचिव, भारत सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

Scanned by CamScanner

4— तदन्तर यह संज्ञान में लाया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–62621/2015 श्वेतकेतु शर्मा बनाम सचिव भारत सरकार में दिनांक 26.11.2015 को आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

Apex Court in the case of Rajasthan Pradesh V.S. Sardarshahar and another Vs. Union of India and others, 2010 (3) ESC 353 (SC), has already dealt with all these aspects of the matter and a clear cut view has been taken that any incumbent who does not hold either a degree or diploma as is provided for under Schedule II of the Indian Medicine Central Council Act 1970 is not at all eligible to indulge in any kind of medical practice. In the said case as the incumbent has obtained his degree/diploma from Hindi Sahitya Sammelan that has no recognition from the statutory authority, in this background, view was taken that right to practice is not an absolute right and it is always subject to reasonable restriction as provided under Article 19(6) of the Constitution and, in view of this, the action of the State in prohibiting such unqualified incumbents has been upheld. The operative portion of the said judgment is as follows;

"43. At the cost of repetition, it may be pertinent to mention here that in view of the above, we have reached to the following inescapable conclusions :-

(I) Hindi Sahitya Sammelan is neither a University/Deemed University nor an Educational Board.

(II) It is a Society registered under the Societie's Registration Act.

(III) It is not an educational institution imparting education in any subject in as much as the Ayurveda or any other branch of medical field.

(IV) No school/college imparting education in any subject is affiliated to it. Nor Hindi Sahitya Sammelan is affiliated to any University/Board.

(V) Hindi Sahitya Sammelan has got no recognition from the Statutory Authority after 1967. No attempt had ever been made by the Society to get recognition as required under Section 14 of the Act, 1970 and further did not seek modification of entry No. 105 in II Schedule to the Act, 1970.

(VI) Hindi Sahitya Sammelan only conducts examinations without verifying as to whether the candidate has some elementary/basic education or has attended classes in Ayurveda in any recognized college.

(VII) After commencement of Act, 1970, a person not possessing the qualification prescribed in Schedule II, III & IV to the Act, 1970 is not entitled to practice.

(VIII) Mere inclusion of name of a person in the State Register maintained under the State Act is not enough making him eligible to practice.

(IX) The right to practice under Article 19(1)(g) of the Constitution is not absolute and thus subject to reasonable restrictions as provided under Article 19(6) of the Constitution.

(X) Restriction on practice without possessing the requisite qualification prescribed in Schedule II, III & IV to the Act, 1970 is not violative of Article

Scanned by CamScanner

दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में उक्त संस्थाओं एवं मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं डी0ए0एम0/डी0यू0एम0 अर्हताधारी चिकित्सकों को चिकित्साभ्यास करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है।"

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

संख्या–1056(1)/96–आयुष–1–2018, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।
2– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, एनेक्सी बिल्डिंग, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
6– सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी0सी0आई0एम0), 61–65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
7– समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उ0प्र0।
8– संबंधित याचीगण (रजिस्टर्ड डाक से)/द्वारा रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

पंजीकृत

कार्यालय
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड,उ0प्र0
'धन्वन्तरि भवन' 7– लालबाग, लखनऊ

पत्रांक 403 /बोर्ड–सा0प्रश्ना0/18 लखनऊ दिनांक 04-04-18

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ———

01– उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग–1, लखनऊ।
02– मा0 अध्यक्ष, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
03– भारत तिब्बिया कालेज, मो0–शाह बिलायत ,नक्खास बाजार सहारनपुर द्वारा सचिव, जावेद हसन फारूकी।
04– सहारनपुर तिब्बिया कालेज, देहरादून रोड, हिन्डन ब्रिज, गागलहेडी, सहारनपुर द्वारा सचिव, डा0 मो0 इरफान।
05– अजमल खाँ तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर द्वारा मैनेजर डा0 मो0 अकरम।
06– महर्षि चरक आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिकल कालेज द्वारा मैनेजर।
07– शिफाउल मुल्क तिब्बिया कालेज, द्वारा मैनेजर एवं अन्य।

(डा0अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार

Scanned by CamScanner